

केंद्र भोपाल

पुनरीक्षण याचिका क्र० :-

R-710-I/13

प्रस्तुती दिनांक

:- 17-01-2013.

याचिका क्रमांक : ---
कार्यालय कलेक्टर, हरदा
17 JAN 2013
कलेक्टर

- उत्तरवादीगण : ---
- 1/ विपिन कुमार आ० राधेश्याम अग्रवाल,
 - 2/ हेमंत कुमार आ० राधेश्याम अग्रवाल,
§ प्रबंध संचालक निखिर पुगर मिल लिमिटेड हरदा
तहसील हरदा जिला हरदा

बनाम

उत्तरवादीगण : ---

- 1/ क्रांति आ० जमनाप्रसाद जैसानी,
- 2/ शांति आ० जमनाप्रसाद जैसानी,
दोनों निवासी जैसानी चौक हरदा तहसील हरदा
- 3/ पुष्पादेवी देवा वल्लभदास ब्राह्मण,
निवासी ग्राम धनबाड़ा तह० खिरकिया जि० हरदा
हाल मुकाम गढ़ीपुरा हरदा जिला हरदा
- 4/ श्रीमती चंद्रावली पत्नी रामनारायण नंदवाना
निवासी ग्राम कपासन जिला चित्तौड़गढ़
§ राजस्थान § हाल निवासी गढ़ीपुरा हरदा
- 5/ श्रीमती यमुना देवी पत्नी महेश कुमार दलानी
निवासी जबलपुर , हाल मुकाम गढ़ीपुरा हरदा
- 6/ कृष्णदास आ० वल्लभदास ब्राह्मण,
नि० धनबाड़ा तह० खिरकिया, हाल नि० गढ़ीपुरा
हरदा जिला हरदा
- 7/ श्रीमती सुदुला पत्नी नरेश कुमार निवासी कौटा
§ राजस्थान § हाल मुकाम गढ़ीपुरा हरदा
- 8/ वृजेश आ० वल्लभदास , निवासी ग्राम धनबाड़ा
तह० खिरकिया, हाल मुकाम गढ़ीपुरा हरदा

305

21/1/13

479

भाज
पास्त

8-2-13

राजस्व मन्त्रालय

(Handwritten signature)

- 9/ विनित आ० कृष्णदास ब्राह्मण, निवासी धनबाड़ा तह० खिरकिया हाल नि० गढीपुरा हरदा जि० हरदा
- 10/ पीयूष आ० कृष्णदास ब्राह्मण, निवासी धनबाड़ा तह० खिरकिया हाल निवासी गढीपुरा हरदा
- 11/ मोहनीष पिता वृजेश ब्राह्मण निवासी ग्राम धनबाड़ा तह० खिरकिया, हाल नि० गढीपुरा हरदा जि० हरदा

पुनरीक्षण याचिका अंतर्गत धारा 50 म० प्र० भू० र० सं० 1959

याचिकाकर्ता गण यह पुनरीक्षण याचिका न्यायालय श्रीमान अपर कलेक्टर महोदय हरदा वदारा रिवीजन क्रमांक 5अ-6अ/2012-2013 ग्राम बम्हनगाँव/ धनबाड़ा तह० खिरकिया जिला हरदा में पारित आदेश दिनांक 19/12/2012 से क्षुब्ध होकर विधि के निम्न सिर्घातों के आधार पर प्रस्तुत करते हैं :-----

Am

BUHA
KARDA
5/12/12

(INT)

84

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक. R-710-IPB-12/3 जिला एरदूर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अधिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
26.5.2016	<p>आवेदकगण की ओर से सूचना उपरोक्त कोर्ट में उपस्थित नहीं। दिनांक 25.2.15 की पेशी पर आवेदकगण की ओर से श्री शंकर सिंह राजपूत जन्मभाषक उपस्थित नहीं हुए हैं। उसके पश्चात् एक वर्ष से भी अधिक समय बीता होने के उपरान्त भी अनेक पेशीयों पर आवेदकगण की ओर से कोई उपस्थित नहीं हो रहा है। अतः आवेदकगण के प्रकरण के निराकरण में बाधा नहीं होने के कारण प्रकरण समाप्त किया जाता है।</p>	<p><i>(Signature)</i> अध्यक्ष</p>

(Signature)